<u>महत्वपूर्ण</u>

<u>संख्या-10/2016/69/55-पर्या-16-49(पर्या)/15</u>

प्रेषक,

श्री संजीव सरन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।

2-समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।

3-निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

4-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

5-नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम, उ0प्र0, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत (द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय,उ0प्र0) /छावनी परिषद, उ0प्र0।

6-सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊा

पर्यावरण अनुभाग लखनऊः दिनांकः 02 मार्च, 2016

विषयः-<u>रिट याचिका नोटिस सं0-11759/2015श्री देवाशीष मित्रा बनाम राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

उपर्युक्त विषयक Civil Misc. Writ Petition (Notice No. 11759 of 2015 Sri Devashish Mitra Vs. State of U.P. and Ors. (District-Bareilly) में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-04-2015 में उ0प्र0 सरकार को चाइनीज मंझे के भण्डारण, विक्रय एवं क्रय को प्रतिबन्ध करने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के निम्नवत निर्देश दिये गये हैं :-

You are therefore directed under section 5 of Environment (Protection) Act, 1986 to take necessary measures and actions including mass awareness programmes to sensitize the people as follows :-

"The Pucca thread made of plastic of any such synthetic material of Chinese make or other toxic materials like iron power, glass powder etc. Which is likely to injury to the birds as well as the people is not used in kite flying."

2- उक्त निर्देशों के अनुपालन हेतु एतद्द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत जनहित में निम्नानुसार निर्देश निर्गत किया जा रहा है :-

''उ0प्र0 में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पंतग उड़ाने हेतु चीन में निर्मित मांझों का प्रयोग, उससे होने वाली दुर्घटनाओं के दृष्टिगत प्रतिबन्धित किया जाता है।''

3- कृपया उक्त निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजीव सरन)
प्रमुख सचिव।